BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 05 जून 2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या के प्रयास के 02 आरोपियों को 10-10 वर्ष का कारावास व 12-12 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त 1- इमरान उर्फ शक्तिमान 2- वसीम पुत्रगण अलिम निवासीगण ईदगाह रोड़ बड़े मदरसे के पीछे मौहल्ला बुर्जउस्मान थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2017 में अपने ही मौहल्ले के रहीस को जान से मारने की नियत से चाकू मारकर घायल करने व जान से मारने की धमकी देने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 26.05.2017 को थाना खुर्जा नगर पर मुअसं – 477/2017 धारा-307/34/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया तथा बरमादगी के संबंध में मुअसं- 515/2017 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। दिनांक 06.07.2017 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्तों के विरुद्ध 06 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 05.06.2024 को मा0 न्यायालय एडीजे-02 जनपद बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त इमरान उर्फ शक्तिमान व वसीम उपरोक्त को 10-10 वर्ष का कारावास व 12-12 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री देवेन्द्र सिंह माहूर व श्री प्रवीन कुमार राणा का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सेल बुलन्दशहर